कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0)

–::परिपत्र::–

क्रमॉंक :– ..../को0वा0/2020 गुना, दिनॉंक :– .22/03/2020 23

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमां क्यू/2 दिनॉंक 22–03–2020 के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) से जनित बीमारी से बचाव हेतु म0प्र0 के जिन जिलों में कलेक्टर ने लॉक डाउन का आदेश जारी किया हैं । उन जिलों के न्यायालयों में दिनॉंक 23 एवं 24 मार्च 2020 को अकार्य दिवस रहेगा ।

कलेक्टर गुना ने दूरभाष पर व्यक्त किया है कि, गुना जिला लॉकडाउन करने के संबंध में आदेश जारी किया जा रहा हैं।

इस कारण दिनॉंक 23 एवं 24 मार्च 2020 को गुना के जिले के न्यायालय में केवल अतिआवश्यक कार्य ही होगा तथा अतिआवश्यक कार्य का निर्धारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा । गुना जिले में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण मुख्यालय पर उपस्थित रहेगें तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी कार्य विभाजन अनुसार शाम 04 बजे से 05 बजे के मध्य मजिस्ट्रेट रिमाण्ड डियूटी करेगें ।

समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने–अपने पीठासीन अधिकारी एवं अनुभाग के प्रभारी अधिकारीयों के सम्पर्क में रहेगें बुलायें जाने पर तत्काल कार्यस्थल पर उपस्थित होगें ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमॉंक :– 631 /को0वा0/2020 गुना, दिनॉंक :– .22/03/2020 23

प्रतिलिपि–

1– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय जबलपुर ।
2– प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
3– अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना
4– प्रधान न्यायाधीश/समस्त न्यायिक अधिकारी, मुख्यालय एवं तहसील न्यायालय गुना
5– कलेक्टर, गुना
6– पुलिस अधीक्षक, गुना
7– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/चांचौड़ा/राघोगढ़
8– जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, गुना
9– प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

23/03/2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म0प्र0)